Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **दौसा में पुलिस कानिस्टेबल को 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *05 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी एस.आई.यू. इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जगदीश मीणा, कानिस्टेबल बेल्ट नं. 588, पुलिस थाना नागल राजावतान, जिला दौसा को परिवादी से **1 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की एस.आई.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्व पुलिस थाना नागल राजावतान में दर्ज प्रकरण में एफ.आर. लगाने की एवज में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, पुलिस निरीक्षक एवं जगदीश मीणा, कानिस्टेबल बेल्ट नं. 588, पुलिस थाना नागल राजावतान, जिला दौसा द्वारा **3 लाख रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी एस.आई.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस उप अधीक्षक श्री परमेश्वर लाल व श्री रघुवीर शरण पुलिस निरीक्षक** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये **जगदीश मीणा, पुत्र श्री गोपी लाल, उम्र 49 वर्ष, निवासी गांव बगलाव, पुलिस थाना सदर दौसा, जिला दौसा हाल कानिस्टेबल बेल्ट नं. 588, पुलिस थाना नागल राजावतान, जिला दौसा** को परिवादी से दौसा में लालसोट रोड़ पर स्थित होटल पर **1 लाख रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा, पुलिस निरीक्षक की भूमिका संदिग्ध है जिसकी जांच जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।